

☎ : 0124-2301981, 2314909

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हरियाणा
गुरुग्राम - 122001

*State Council of Educational Research & Training, Haryana,
Gurugram - 122001*

सेवा में

प्रबंधक / प्राचार्य
समस्त अल्पसंख्यक संस्थान
हरियाणा।


यादी क्रमांक: DIET/2026/

दिनांक: 27-04-2026

विषय: डी.एल.एड. सत्र 2026-28 दाखिला बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा CWP-21169-2024 (O & M) titled as ASSOCIATION OF NCT APPROVED COLLEGES TRUST Vs State of Haryana and Ors में दिनांक 22.04.2026 को पारित निर्णय, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार, प्रवेश कार्यक्रम का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। माननीय न्यायालयों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि:

1. प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र के 28 जून 2026 तक पूर्ण की जाए।
2. शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई 2026 से प्रारम्भ किया जाए।
3. डी.एल.एड. सत्र 2026-28 में दाखिला के आवेदन दिनांक 04-05-2026 से 11-05-2026 तक होंगे, उसके लिए विज्ञापन दो अखबारों (अंग्रेजी व हिन्दी) में दिनांक 30-04-2026 तक निकालना सुनिश्चित करें। दिनांक 12-05-2026 को प्राप्त हुए आवेदनों की सूची को deled2028hry@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।
4. हरियाणा राज्य में स्वयं पोषित संस्थानों की काउंसिलिंग के लिए जारी समय सारणी के अनुसार ही अल्पसंख्यक संस्थानों डी.एल.एड. सत्र 2026-28 में दाखिला करेंगे।
5. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दाखिला लेने के तीन दिन के अन्दर संबंधित जिले की DIET द्वारा गठित 04 सदस्यी कमेटी (प्राचार्य, वरिष्ठ प्राध्यापक, प्राध्यापक, अधीक्षक, सहायक, लिपिक) के द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत जिले के मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूची SCERT को deled2028hry@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।


अतिरिक्त निदेशक
एससीईआरटी हरियाणा
गुरुग्राम।
27/04/2026